संख्या:14/2020/1364/46-2-2020-34/2018

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक,
सहकारी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2020

विषय: **सहकारी चीनी मिल समितियों एवं सहकारी चीनी मिलों की कार्यकुशलता एवं वित्तीय अनुशासन में सुधार के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

सहकारी चीनी मिल समितियों एवं सहकारी चीनी मिलों की कार्यकुशलता एवं वित्तीय अनुशासन में सुधार के सम्बन्ध मे पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या:9/2018/1344/46-2-18-34/2018, दिनांक 18 जून, 2018 में यह व्यवस्था निर्धारित की गयी थी कि सहकारी चीनी मिल समितियों को विकास कमीशन के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को एक अलग बैंक खाता खोलकर जमा किया जाये। इस धनराशि की अधिकतम 40 प्रतिशत भाग को समिति के प्रबन्ध व्यय और गन्ना विपणन कार्यों में व्यय किया जाये। शेष 60 प्रतिशत की धनराशि का उपयोग विकास कार्यों, यथा-कृषकों को उत्तम गुणवत्ता के गन्ना बीज उर्वरक, दवाईयां, कृषि यंत्र आदि उपलब्ध कराने में व्यय किया जाये। चीनी मिलों की बैलेंस सीट में समितियों के आय-व्यय का अलग से विवरण प्रस्तुत किया जाये।

2. इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि चीनी मिल समितियों में चीनी भण्डारण की गम्भीर समस्या बनी हुई है। यदि कमीशन की धनराशि चीनी मिल समिति के गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध करा दी जाये तो गोदाम निर्माण के पश्चात् उस गोदाम का किराया चीनी मिल द्वारा समिति को किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में उक्त 60 प्रतिशत धनराशि का उपयोग चीनी मिल समितियों में गोदाम निर्माण के लिए किया जा सकता है अथवा नहीं, के बिन्दु पर शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत सहकारी चीनी मिल समितियों एवं सहकारी चीनी मिलों की कार्यकुशलता एवं वित्तीय अनुशासन में सुधार के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या:9/2018/1344/46-2-18-34/2018, दिनांक 18 जून, 2018 में सहकारी चीनी मिल समितियों को विकास कमीशन के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रूप में प्राप्त होने वाली 60 प्रतिशत धनराशि का उपयोग चीनी मिल समितियों में गोदाम निर्माण का कार्य कराये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1) सहकारी चीनी मिल समिति द्वारा गन्ना विकास का कार्य प्राथमिकता पर कराया जायेगा तथा इसके उपरान्त धनराशि का उपयोग गोदाम निर्माण हेतु किया जा सकेगा।

(2) चीनी के भण्डारण हेतु गोदाम के अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण कार्य इस मद में कराया जाना औचित्यपूर्ण नहीं होगा।

(3) चीनी मिल द्वारा गोदाम का किराया चीनी मिल समिति को प्रचलित बाजार दर पर दिया जायेगा तथा चीनी मिल समिति द्वारा इस किराये की धनराशि का उपयोग गन्ना विकास कार्यों हेतु किया जायेगा।

(4) गोदाम निर्माण के पूर्व ऐसे प्रस्ताव पर अनुमोदन चीनी मिल बोर्ड की बैठक से कराया जाना आवश्यक होगा।

4. सहकारी चीनी मिल समितियों एवं सहकारी चीनी मिलों की कार्यकुशलता एवं वित्तीय अनुशासन में सुधार के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या:9/2018/1344/46-2-18-34/2018, दिनांक:18 जून, 2018 को इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा। इस शासनादेश के शेष प्राविधान/निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:14/2020/1364(1)/46-2-2020, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) गन्ना आयुक्त/निबन्धक, सहकारी चीनी मिल समितियाँ, उ.प्र.।

(2) प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ को पत्र संख्या:331 यू.पी.एफ./कैम्प/प्र.प्र. तक/सिविल दिनांक 15.09.2020 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र की प्रति समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश को अपने स्तर से भेजवाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।